(1)

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या – 01/भू0अ0नि0(3)विविध–वि0सर्वे0लिपिक(द0स0)–35/2021(खंड–2)...1938 **पटना, दिनांक :–** 01/03/2023

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या – 05/2019 के आलोक में निम्नांकित विशेष सर्वेक्षण लिपिकों को नियोजित करते हुए – 2 में अंकित पत्रांक एवं दिनांक के माध्यम से बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण (बेतिया) में पदस्थापित किया गया है :–

क्र0	पत्रांक दिनांक	आई0डी0 संख्या	नाम	पिता का नाम	पदस्थापन जिला	स्थायी पता/गृह जिला	ई–मेल	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	विश्वविद्यालय द्वार सत्यापन प्रतिवे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10584 25.08.2020	SCL01658	श्री अंकन कुमार	श्री भारत भूषण तिवारी	प0 चम्पारण (बेतिया)	VILL- AKOPUR , HAKAM, District - SIWAN	tiwaryankan@gmail.com	Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur	4456/Record/E.G. 08-02-2023	विश्वविद्यालय अ (सा0प0) के अनुसार अनुक्रमांक वर्ष 20 M.Com कक्षा हेतु किसी छा को आवंटित नही
2		SCL01660	श्री विकास कुमार सिंह	श्री सत्येन्द्र सिंह		VILL-JOGIRAN PO-AKSHAIWAR PS-SIDHWALIYA, District-GOPALGANJ	bikashjogiraha@gmail.com			विश्वविद्यालय अ (सा0प0) के अनुसार अनुक्रमांक वर्ष 2014 में B.A एवं M.A कक्षा हेतु छात्र/छात्रा को आवं है।

उपरोक्त संविदा कर्मियों के नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को भेजा गया था। स्तम्भ संख्या – 11 में र विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में उपरोक्त संविदा कर्मियों के अनुक्रमांक की पुष्टि नहीं की गयी है। प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत उक्त संविदा कमि फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध निदेशालय पत्रांक 1635 दिनांक 17.02.2023 एवं पत्रांक 1640 दिनांक 17.02.2023 द्वारा 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की म गयी। संबंधित कर्मियों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि उपरोक्त संविदा कर्मियं पुनः सत्यापन कराये जाने के अनुरोध के अतिरिक्त कोई विशिष्ट तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन को खंडित करता हो। इस भी प्रमाणित होता है कि उपरोक्त संविदा कर्मी गलत/फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका – 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 1/3/2023

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ030

ज्ञापांक – 01/भू0अ0नि0(3)विविध–वि0सर्वे0लिपिक(द0स0)–35/2021(खंड–2) 1938　　　　पटना, दिनांक – 01/03/2023

प्रतिलिपि :– विवरणी में अंकित सभी विशेष सर्वेक्षण लिपिकों को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 28/2/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 01/भू0अ0नि0(3)विविध–वि0सर्वे0लिपिक(द0स0)–35/2021(खंड–2) 1938　　　　पटना, दिनांक – 01/03/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि :–

1. उपरोक्त कर्मियों को प्रभारित सभी कागजात/दस्तावेज/सामग्री अविलंब प्राप्त कर ली जाय।
1. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित उपरोक्त सभी कर्मियों से अब तक भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई नियमानुसार की जाय।
2. उपरोक्त कर्मियों पर फर्जी कागजातों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाय।

निदेशक 28/2/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 01/भू0अ0नि0(3)विविध–वि0सर्वे0लिपिक(द0स0)–35/2021(खंड–2) 1938 .　　　　पटना, दिनांक – 01/03/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक 28/2/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप